न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **23/2016** अपील (राजस्व)

श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि बापूलाल खोखावत, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली
2. श्री गोपाल भील निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2016 बमामले प्रकरण संख्या 33/2015 तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

उपस्थितः— 1.श्री सुन्दरलाल माण्डावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांकः— 26.03.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब का निर्णय दिनांक 12.02.2016 कानुन व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। इस तरह की मामले की सुनवाई का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर संशोधित नियमों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी को नियमित वाद के तहत सुनने का अधिकार प्राप्त हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में खातेदारो को नहीं सुना गया ना ही जवाब लिया गया एवं ना ही साक्ष्य सबुत लिये गये। मामले में बहस नहीं सुनी गई और बिना किसी आधार के निर्णय पारित कर दिया जो गलत हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई कार्यवाही ही नहीं की गई। दिनांक 18.12.2015 की आदेशिका से स्पष्ट है कि इस दिन प्रार्थी एवं विपक्षीगण अनुपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अदम हाजरी में खारिज किया जाना चाहिये था जो

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। दिनांक 28.12.2015 की आदेशिका से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विपक्षी दोनो ही अनुपस्थित थे तो प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारीज होना चाहिये था जो नहीं किया गया। दिनांक 08.01.2016 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि सिंचाई विभाग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। दिनांक 22.01.2016 में भी यही अंकन किया गया है एवं दिनांक 29.01.2016 में भी यही अंकित किया गया है कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और खातेदारान को सूचना पत्र जारी किये जावें और पत्रावली दिनांक 12.02.2016 को पेश हो। इस तारीख को न तो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई नाही खातेदारान के सम्मन तामील हुए थे फिर भी न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो के विपरीत जाते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारो को बिना सुने, उनकी जमीन में से धोरा निकालने के आदेश प्रदान कर दिये गये जो खातेदार के अधिकारों के विपरीत हैं। खातेदार की जमीन में से धोरा निकालने के आदेश प्रदान करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं हैं। आराजी नम्बर 2097, 2098 जो मौजा डबोक में स्थित है उसमें कभी भी एल.एम.सी. की चैन नम्बर 118 या 112 नहीं निकाली गई थी और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट पेश ही हुई है, न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत हुई हैं। स्वयं रेस्पोडेंट गोपाल भील द्वारा कहा गया है कि सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द कर दी है और नहर का धोरा बन्द कर दिया गया है और यह अंकित किया गया कि सरकारी नहर की जमीन छुड़वाई जावें, जब नहर सरकारी जमीन में है ही नहीं तो प्रार्थना पत्र स्वयमेव पोषणीय नहीं है साथ ही स्वयं तहसीलदार द्वारा इस बात को माना गया है कि खातेदारी आधिपत्य की जमीन है इसलिये खातेदारो को नोटिस जारी किया जावें। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णरूप से गलत है जिसे निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया हैं। आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारो को सुना नहीं गया। बिना साक्ष्य सबुतो के आधार पर यह आदेश पारित कर दिया गया। खातेदार की जमीन में से धोरा निकालने के आदेश प्रदान करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं हैं। आराजी संख्या 2097, 2098 जो मौजा डबोक में स्थित है उसमें कभी भी एल.एम.सी. की चैन नम्बर 118 या 112 नहीं निकाली गई थी। रेस्पोडेंट गोपाल भील द्वारा कहा गया कि सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द कर दी हैं और नहर का धोरा बन्द कर दिया गया। सरकारी नहर की जमीन छुड़वाई जावें, नहर सरकारी जमीन में है ही नहीं तो प्रार्थना पत्र स्वमेव पोषणीय नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि धोरा निकाला गया भूमि खातेदारी आधिपत्य की हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय पूर्ण रूप से गलत हैं। इसलिये उसे निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत हैं।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि मौजा डबोक की आराजी संख्या 2098 व 2100 के मध्य पक्की सिंचाई विभाग की नहर बनी हुई हैं एवं आराजी संख्या 2097, 2098 में से पानी ले जाने का धोरा बना हुआ हैं एवं आराजी संख्या 2143 जो कि सड़क होकर धोरे का पानी पाईप डालकर निकाला जाता है जिसके पूर्व दिशा में स्थित समस्त काश्तकारो की भूमि में सिंचाई होती हैं। आराजी संख्या 2098 व 2097 में स्थित धोरे के खातेदारो द्वारा जुताई कर बन्द कर दिया हैं। जिससे फसल रबी में उक्त भूमि में सिंचाई की रूकावट आ सकती हैं। धोरे को आराजी संख्या 2098, 2097 से निकलने वाले धोरे को पुनः चालु कर दिया जाता है तो समस्त काश्तकारो की भूमि में सिंचाई हो सकती हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा जो आदेश पारित किया गया

है वह उचित न्यायसंगत होने से यथावत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन के पश्चात न्यायालय का मत है कि मौजा डबोक की आराजी संख्या 2098 एवं 2097 में से निकलने वाले पानी के धोरे को वर्तमान खातेदार अपीलार्थी द्वारा बन्द कर दिये जाने से करीब 200–300 बीघा भूमि में इस धोरे से जो सिंचाई होती थी उन काश्तकारो को सिंचाई से वंचित कर दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.02.16 में धोरे को पुनः खुला करवाये जाने की प्रक्रिया के जो निर्देश सहायक अभियंता को दिये गये है वह न्यायसंगत हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होकर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर